



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्र सं० 1150-काविनी एवं वे०प्र०-29/ पाकालि/09-7(2)-काविनी/2003 दिनांक 04-11-09

कार्यालय झाप

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित याचिका सं० 264 (एस/एस)/1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ०प्र० बनाम यू०पी० स्टेट एवं अन्य) तथा याचिका सं० 1289 (एस०/बी०)/2003 (ए०जी० मोइनुद्दीन एवं अन्य बनाम उ०प्र० पा०का०लि० एवं अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2007 तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका सं० 21712-21713/2007 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.09 के अनुपालन में पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति सं० 531-विनियम-23/राविप-98 दिनांक 22.12.98 द्वारा निर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 1998 को कारपोरेशन के कार्यालय झाप सं० 160-विनियम एवं औसं/पाकालि/09-7 विनियम/88 दिनांक 01 सितम्बर, 2009 सपठित शुद्धि-पत्र सं० 172-विनियम एवं औसं/पाकालि/09-7 विनियम/88 दिनांक 30 सितम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 01.04.84 (प्रभावी होने की तिथि से) निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप एतद्वारा निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं :-

- 1- "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद" लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली - 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप आदेश सं० 1992-काविनी/राविप/29/98 दि० 11.12.98 एवं उक्त विनियमावली-1998 के निर्गमन के उपरांत उसके क्रियान्वयन के संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेश निरस्त किए जाते हैं।
- 2- उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली, 1970 (प्रथम संशोधन सहित) अब पुनः दिनांक 01.04.1984 से प्रभावी हो गयी है एवं इसके फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों के समयबद्ध वेतनमान/सेवानैवृत्तिक लाभ तदनुसार विनियमित होंगे तथा उपरोक्त सन्दर्भित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के दिनांक 23.08.2007 के निर्णयानुसार, देय धनराशि पर, याचिकाकर्ताओं को, 10 % वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा।

याचिकाकर्ताओं को रू० 5000/- प्रति सेट रिट पिटीशन के हिसाब से कोस्ट (Cost) भी अनुमन्य होगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक


(कमश.....2)

सं० 1150-(1) काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2009 - तददिनांक 04-11-09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक।
- 5- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० / उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 6- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ / केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 8- समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पा०का०लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 16- लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- समस्त अधिकारी / अनुभाग उ०प्र० पा०का०लि०(मु०) शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(मो० राशिद)

संयुक्त सचिव (काविनी)

